सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	श्रावण 1, शुक्रवार, शाके 1943–जुलाई 23, 2021 *Sravana 1, Friday, Saka 1943- July 23, 2021*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

FINANCE (G&T) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, July 23, 2021

G.S.R.300 .-In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 6 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 (Act No. 21 of 2012) read with rule 32 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013, the State Government, being of the opinion that it is necessary for the socio-economic policies of the Central Government or the State Government, utilization of resources and expertise of the departments and enterprises of the Central Government or the State Government and saving the time, money and efforts of the procuring entities required in inviting and processing bids individually, hereby makes the following amendment in this department's notification number F.1(8)/FD/GF&AR/2011 dated 04 September, 2013, as amended from time to time, namely:-

AMENDMENT

In table of the said notification, after the existing serial number 56 and entries thereto, the following new serial number 57 and entries thereto shall be added, namely:-

"

57.	Goods and Services	The registered and approved start-ups, with QRate Score Bronze or higher, with the State Government would be given direct work orders without entering into the bidding process, as per the following criteria:- 1. QRate Bronze: Maximum One Work Order in a Financial Year per start-up 2. QRate Silver: Maximum Two Work Orders in a Financial Year per start-up 3. QRate Gold: Maximum Two Work orders in a Financial Year per start-up	1. The estimated value of the subject matter of procurement shall not be more than Rs. 15 lakhs. 2. Procurement can be undertaken through any electronic platform provided by the Government of India or Government of Rajasthan (like e-bazaar Rajasthan,etc.) to the start-up.

		4. QRate Platinum: Maximum Three Work orders in a Financial Year per start-up 5. QRate Signature: Maximum Three Work orders in a Financial Year per start-up	

"

[No. F.2(1)/FD/G&T-SPFC/2017]
By Order of the Governor,

Vimal Kumar Gupta,
Joint Secretary to the Government.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।

	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आषाढ़ 16, गुरूवार, शाके 1944-जुलाई 07, 2022 *Asadha 16, Thursday , Saka 1944- July 07, 2022*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

वित्त (जीएण्डटी) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 07, 2022

जी.एस.आर.300.- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.2(1)/एफडी/जीएण्डटी-एसपीएफसी/2017 दिनांक 23-07-2021 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता हैः-

राज्यपाल के आदेश से,

विमल कुमार गुप्ता,
संयुक्त शासन सचिव।

वित्त (जीएण्डटी) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 23, 2021

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 32 के साथ पठित राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 6 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की सामाजिक-आर्थिक नीतियों, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के विभागों और उद्यमों के संसाधनों और विशेषज्ञता के उपयोग और उपापन संस्थाओं के व्यक्तिशः बोलियों के आमंत्रण और प्रक्रिया में अपेक्षित समय, धन और प्रयासों की बचत के लिए यह आवश्यक है, इस विभाग की, समय-समय पर यथासंशोधित, अधिसूचना संख्यांक एफ.1(8)/एफडी/जीएफएण्डएआर/2011 दिनांक 04 सितम्बर, 2013 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है,अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की सारणी में, विद्यमान क्रम संख्यांक 56 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित नया क्रम संख्यांक 57 और उसकी प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी, अर्थात्:-

"

57.	माल और सेवाएं	राज्य सरकार के पास ब्रोंज़ या उच्चतर क्यूरेट स्कोर के साथ रजिस्ट्रीकृत और अनुमोदित स्टार्टअप को निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार बोली प्रक्रिया में सम्मलित किये बिना सीधे कार्य आदेश दिये जायेंगे:- 1. क्यूरेट ब्रोंज़: प्रति स्टार्ट-अप एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम एक कार्य आदेश 2. क्यूरेट सिल्वर: प्रति स्टार्ट-अप एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम दो कार्य आदेश 3. क्यूरेट गोल्ड: प्रति स्टार्ट-अप एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम दो कार्य आदेश 4. क्यूरेट प्लैटिनम: प्रति स्टार्ट-अप एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम तीन कार्य आदेश 5. क्यूरेट सिग्नेचर: प्रति स्टार्ट-अप एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम तीन कार्य आदेश	1. उपापन की विषय-वस्तु का अनुमानित मूल्य 15 लाख रुपये से अधिक नहीं होगा। 2. भारत सरकार या राजस्थान सरकार द्वारा स्टार्टअप को उपलब्ध कराये गये किसी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म (जैसे ई-बाजार राजस्थान, आदि) के माध्यम से उपापन किया जा सकेगा।

"

[**सं.एफ2(1)/एफडी/जीएण्डटी-एसपीएफसी/2017**]

राज्यपाल के आदेश से,

विमल कुमार गुप्ता,

संयुक्त शासन सचिव।

Government Central Press, Jaipur.